1.	योजना का नाम	**अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व नियम, 1995, नागरिक संरक्षक अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	इस योजनान्तर्गत अनु.जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, के द्वारा किये गये अत्याचार के अंतर्गत पीडित अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को तुरन्त आर्थिक सहायता राशि जिला कलक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1981
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग
5.	पात्रता	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीडित हो।
6.	देय सुविधाएं	अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1955 के नियम 12(4) के अन्तर्गत उल्लेखित 22 प्रकार के अपराधों में अलग-अलग स्तर पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
7.	आवेदन का तरीका	अत्याचार की घटना के पश्चात् जिला कलक्टर से सम्पर्क कर नियम 12(4) अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने बाबत किसी प्रकार के आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं, परन्तु नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।
8.	आवेदन कहाॅ किया जावे	जिला कलक्टर/जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	एफ.आई.आर., चिकित्सक प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला कलक्टर/जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग